

## बैठक की कार्यवाही

माननीय प्रति कुलपति जी की अध्यक्षता में दिनांक 19/08/2017 को अपराह्न 4 बजे आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ सदस्यों की एक आवश्यक बैठक आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ कार्यालय में सम्पन्न हुई। बैठक में आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे :-

1. प्रो० एच० एस० सिंह,	अध्यक्ष आई०क्यू०ए०सी०
2. प्रो० राकेश गुप्ता	सदस्य आई०क्यू०ए०सी०
3. प्रो० वाई० विमला	सदस्य आई०क्यू०ए०सी०
4. प्रो० आर०के० सोनी	सदस्य आई०क्यू०ए०सी०
5. प्रो० एस० के० भारद्वाज	सदस्य आई०क्यू०ए०सी०
6. डॉ० दिनेश कुमार	सदस्य आई०क्यू०ए०सी०
7. डॉ० संजीव कुमार	सदस्य आई०क्यू०ए०सी०
8. प्रो० संजीव कुमार शर्मा	समन्वयक आई०क्यू०ए०सी०

बैठक में दिनांक 02/06/2017 की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई।

बैठक में सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिये गये :-

1. विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों में शिक्षकों के रिक्त पदों के सापेक्ष प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रीटनी हेतु निम्नांकित समिति कार्य करेगी :-
  1. सम्बन्धित संकायाध्यक्ष
  2. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष (यदि स्वयं आवेदक न हो) (तथा आवेदित पद से न्यून पद धारित न करता/करती हो)
  3. माननीय कुलपति महोदय द्वारा नामित बाह्य विषय विशेषज्ञ
  4. आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ के समस्त सदस्य
2. विश्वविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया, यथा विज्ञापन आदि काफी पहले प्रारम्भ हो चुकी थी और आवेदन पत्र प्राप्ति भी विश्वविद्यालय में हो चुकी है अतः उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-377/सत्तर-1-2013-16 (114)/2010 दिनांक 03/12/2013 के अनुसार विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली के संशोधित प्रावधानों के अनुरूप ही चयन की प्रक्रिया सम्पन्न की जाएगी।
3. उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-377/सत्तर-1-2013-16 (114)/2010 टी० सी०, दिनांक 08 अप्रैल 2017 के प्रस्तर संख्या-3 में उल्लिखित है कि "जिन पदों पर पूर्व नियमों/व्यवस्था के आलोक में चयन आदि की कार्यवाही पूर्ण हो गयी हो अथवा प्रचलित हो उन पर विज्ञापन की शर्तों आदि में अब परिवर्तन नहीं किया जायेगा"। उक्त के आलोक में प्रथम परिनियमावली में नवीनतम परिवर्तन भविष्य के विज्ञापन आदि पर लागू किये जायेंगे।
4. विश्वविद्यालय के शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदनों की जाँच हेतु गठित स्क्रीटनी की समिति की सहायतार्थ चैक लिस्ट के निर्माण करने के लिए माननीय कुलपति महोदय द्वारा समिति का गठन किया जायेगा।
5. विश्वविद्यालय के गैर शैक्षणिक तकनीकी पदों पर नियुक्ति हेतु स्क्रीटनी समिति की आख्या माननीय कुलपति कार्यालय द्वारा शेष प्रक्रिया कौशल परीक्षण तथा साक्षात्कार आदि का संचालन किया जायेगा।

6. पी0 डी0 एफ0 के एकेडमिक स्कोर की गणना हेतु पी0 एच0 डी0 उपाधि प्राप्त होने के उपरान्त शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शोध संस्थान/परिषद द्वारा प्रदत्त शोध अध्येतावृत्ति (फैलोशिप) समतुल्य मानी जाएगी तथा फैलोशिप निर्गत होने का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद सहित बैठक समाप्त हुई।



प्रो0 राकेश गुप्ता,  
आचार्य, सांख्यिकी विभाग



प्रो0 वाई0 विमला,  
आचार्य, वनस्पति विज्ञान विभाग




प्रो0 आर0के0 सोनी,  
आचार्य, रसायन विज्ञान विभाग




डॉ0 दिनेश कुमार,  
सहआचार्य, अर्थशास्त्र विभाग




श्री संजीव कुमार  
सहायक कुलसचिव



प्रो0 एस0 के0 भारद्वाज,  
आचार्य, जन्तु विज्ञान विभाग




प्रो0 संजीव कुमार शर्मा  
समन्वयक, आई0क्यू0ए0सी0




प्रो0 एच0 एस0 सिंह  
प्रति कुलपति/अध्यक्ष आई0क्यू0ए0सी0

माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत

Approved



19/8/17




19/8/17

## बैठक की कार्यवाही


विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच (स्क्रीनिंग) समिति की सहायतार्थ चैक लिस्ट बनाने के लिए माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 20/08/2017 को प्रातः 11 बजे आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ कार्यालय में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :-

1. प्रो० जयमाला
2. प्रो० हरे कृष्णा
3. प्रो० संजय भारद्वाज
4. डॉ० दिनेश कुमार
5. प्रो० संजीव कुमार शर्मा


समिति ने चैक लिस्ट सर्वसम्मति से निर्मित की जो मूल रूप में संलग्न है।



प्रो० जयमाला  
गणित विभाग



प्रो० हरे कृष्णा  
सांख्यिकी विभाग



प्रो० संजय भारद्वाज  
जन्तु विज्ञान विभाग




डॉ० दिनेश कुमार  
अर्थशास्त्र विभाग



प्रो० संजीव कुमार शर्मा  
समन्वयक, आई०क्यू०ए०सी०

माननीय कुलपति महोदय के  
अनुमोदनार्थ प्रस्तुत



Noted  
  
20-8-17

## बैठक की कार्यवाही

विश्वविद्यालय के आन्तरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ की एक बैठक माननीय प्रतिकुलपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 07.09.2017 को अपराह्न 4:30 बजे प्रकोष्ठ कार्यालय में सम्पन्न हुई।

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. प्रो० एच० एस० सिंह,     | प्रति कुलपति एवं अध्यक्ष आई०क्यू०ए०सी० |
| 2. प्रो० राकेश गुप्ता      | सदस्य आई०क्यू०ए०सी०                    |
| 3. प्रो० वाई० विमला        | सदस्य आई०क्यू०ए०सी०                    |
| 4. प्रो० आर०के० सोनी       | सदस्य आई०क्यू०ए०सी०                    |
| 5. प्रो० जयमाला            | सदस्य आई०क्यू०ए०सी०                    |
| 6. डॉ० दिनेश कुमार         | सदस्य आई०क्यू०ए०सी०                    |
| 7. श्री संजीव कुमार        | सदस्य आई०क्यू०ए०सी०                    |
| 8. प्रो० संजीव कुमार शर्मा | समन्वयक आई०क्यू०ए०सी०                  |

बैठक में गत बैठक दिनांक 19/08/2017 की कार्यवाही की पुष्टि की गई।


नवागन्तुक सदस्य प्रो० जयमाला का सभी सदस्यों द्वारा स्वागत किया गया बैठक में सर्व सम्मति से निम्नांकित निर्णय लिए गए :-

- 1.1 विश्वविद्यालय परिसर के शैक्षणिक विभागों में रिक्त पदों के विज्ञापन के सापेक्ष सहायक आचार्य (असिस्टेंट प्रोफेसर) के पद पर नियुक्ति हेतु एक पद के सापेक्ष 15 से अधिक अर्ह आवेदक होने की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन कराया जायेगा।
- 1.2 लिखित परीक्षा का सम्पूर्ण संचालन परीक्षा नियन्त्रक द्वारा किया जायेगा।
- 1.3 लिखित परीक्षा में उक्त विषय के समस्त अर्हताप्राप्त आवेदक सम्मिलित होने के पात्र होंगे।
- 1.4 इस हेतु आवेदकों को पत्र द्वारा तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर समस्त जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी।
- 1.5 लिखित परीक्षा विश्वविद्यालय के सम्बन्धित विभाग के स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम पर आधारित होगी।
- 1.6 लिखित परीक्षा में बहुस्तरीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का समावेश होगा। लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी।
- 1.7 लिखित परीक्षा का मूल्यांकन केवल बाह्य परीक्षकों द्वारा केन्द्रीय मूल्यांकन पद्धति द्वारा किया जायेगा।
- 1.8 लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों की योग्यता सूची बनाई जायेगी तथा आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा। लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर बनायी गई योग्यता सूची (Merit list) से प्रथम 15 अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा।


*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]*

2. साथ ही यह भी कि चयन समिति किसी भी विषय/विभाग में किसी भी पद (सहायक आचार्य, सहयुक्त आचार्य एवं आचार्य) पर चयन प्रक्रिया में किसी भी अथ्यर्थी के योग्य न समझे जाने पर 'कोई भी योग्य नहीं पाया गया' (None found suitable) का निर्णय ले सकेगी।


अध्यक्ष को धन्यवाद सहित बैठक समाप्त हुई।

  
(प्रो० राकेश गुप्ता)


  
(प्रो० वाई० विमला)


  
(प्रो० आर०के० सोनी)


  
(प्रो० जयमाला)

  
(प्रो० दिनेश कुमार)

  
(श्री संजीव कुमार)

  
(प्रो० संजीव कुमार शर्मा)

  
(प्रो० एच०एस० सिंह) 7/9/17

Submitted for approval of Hon'ble VC.  


Approved  
  
7/9/17

To be placed in  
in Academic  
Council meeting

Meeting

A meeting of the Internal Quality Assurance Cell (IQAC) of Chaudhary Charan Singh University, Meerut was held in the office of IQAC on 9<sup>th</sup> October 2017 at 3:30 PM.

Following were present:-

1. Prof. H.S. Singh, IQAC
2. Prof. Y. Vimala
3. Prof. Rakesh Gupta
4. Prof. Aradhana
5. Dr. Dinesh Kumar
6. Shri Sanjeev Kumar, A.R.
7. Prof. Sanjeev Kumar Sharma

The proceedings of the meeting of IQAC on were approved.


IQAC members welcome Prof. Aradhana as new member of IQAC

Following resolutions were made unanimously:-

1. The list of the eligible candidates in various teaching departments for promotion under career advancement scheme, who have applied within the stipulated time schedule and who have been found eligible by the Screening Committee, be prepared and communicated to the secretariat of the Hon'ble Vice Chancellor for further action.
2. The list of the eligible candidates for different teaching positions in different departments as well as the list of non-eligible candidates alongwith reasons mentioned thereof, may be prepared out of the recommendations of the Screening Committee of the respective subjects.
3. For the purpose of preparing these lists a committee of Prof. Sanjay K. Bharadwaj, Prof. Aradhana and Dr. Dinesh Kumar is being constituted.


  
(Y. Vimala)

  
(Rakesh Gupta)

  
(Aradhana) 09/10/2017


  
(Dinesh Kumar)

  
(Sanjeev Kumar)

  
(S. K. Sharma) 9/10/17

  
(H.S. Singh)

Hon'ble Vice Chancellor  
Submitted for kind approval.

  
9/10/17

Approved  
  
09/10/17

8597  
23/1/18

60  
(3)

## बैठक की कार्यवाही


विश्वविद्यालय के आन्तरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ की एक बैठक माननीय प्रतिकुलपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 18.01.2018 को अपसहन् 12:30 बजे प्रकोष्ठ कार्यालय में सम्पन्न हुई।

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. प्रो० एच० एस० सिंह,     | प्रति कुलपति एवं अध्यक्ष आई०क्यू०ए०सी० |
| 2. प्रो० राकेश गुप्ता      | सदस्य आई०क्यू०ए०सी०                    |
| 3. प्रो० वाई० विमला        | सदस्य आई०क्यू०ए०सी०                    |
| 4. प्रो० आर०के० सोनी       | सदस्य आई०क्यू०ए०सी०                    |
| 5. प्रो० संजय भारद्वाज     | सदस्य आई०क्यू०ए०सी०                    |
| 6. प्रो० आराधना            | सदस्य आई०क्यू०ए०सी०                    |
| 7. श्री संजीव कुमार        | सदस्य आई०क्यू०ए०सी०                    |
| 8. प्रो० संजीव कुमार शर्मा | समन्वयक आई०क्यू०ए०सी०                  |


बैठक में सर्व सम्मति से निम्नांकित निर्णय लिए गए :-


1. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लखनऊ में दिनांक 4 फरवरी 2018 को आयोजित कार्यशाला में प्रो० आराधना विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगी।
2. उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद की ओर से आयोजित की जाने वाली कार्यशाला की आयोजन सचिव प्रो० आराधना तथा संयुक्त आयोजन सचिव डॉ० दिनेश कुमार रहेंगे।
3. विभिन्न शैक्षणिक विभागों में शैक्षणिक पदों पर साक्षात्कार हेतु अनर्ह पाये गए अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदनों के आलोक में पुनः आन्तरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की प्रथम परिनियमावली के अन्तर्गत शिक्षकों की सेवा, नियुक्ति आदि सम्बन्धी अध्यादेश के प्रस्तर संख्या 19 के अनुरूप दिनांक 19.08.2017 को लिए गए निर्णय तथा कुलपति महोदय के अनुमोदन के आलोक में अनर्ह पाए गए अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदनों के निरस्त किए जाने का निर्णय लिया।

  
(प्रो० राकेश गुप्ता)

  
(प्रो० वाई० विमला)

  
(प्रो० आर०के० सोनी)

  
(प्रो० संजय भारद्वाज)

  
(प्रो० आराधना)

  
(श्री संजीव कुमार)

  
(प्रो० संजीव कुमार शर्मा)

  
(प्रो० एच०एस० सिंह)

माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत

Approved  
कुलपति  
24-1-18  
  
10/1/18